असंगठित क्षेत्र के अन्तर्गत कार्यरत महिलाओं के लिए वरदान है स्वयं सहायक समूह (Self Help Group) : भोजपुर जिला के विशेष सन्दर्भ

डॉ. अमरेश कुमार

भारत में 90 प्रतिशत महिलाएँ असंगठित क्षेत्र में कार्यरत हैं तथा 10 प्रतिशत संगठित क्षेत्र में कार्यरत हैं। संगठित एवं असंगठित क्षेत्र में विषमता है। असंगठित क्षेत्र में महिलाओं को दोहरी मार झेलनी पड़ती है। असंगठित क्षेत्र में कानूनी उपायों तथा सामाजिक विरोध की संभावनाओं के अभाव के कारण पुरूषों की तरह उन्हें भी बहुत सी वे सुविधाएँ तथा सुरक्षा उपाय उपलब्ध नहीं है, जो संगठित क्षेत्र श्रमिकों को उपलब्ध है। महिला होने के कारण उन्हें अतिरिक्त रूप से शोषण असमानता तथा अन्याय का शिकार होना पड़ता है। अधिकतर श्रमिक असंगठित क्षेत्र में हैं, जहाँ कोई व्यवस्थित सुविधा नहीं है। असंगठित क्षेत्र–कृषि, पशुपालन, निमार्ण, घरेलु काम, दुकानों पर काम तथा अन्य छोटे–छोटे संस्थानों में रोजगार। सबसे अधिक महिला श्रमिक कृषि क्षेत्र में काम करती है। फिर भी महिलाओं को किसान नहीं माना जाता। कृषि की भाँति निमार्ण क्षेत्र में भी महिला श्रमिकों के श्रम का मूल्यांकन भेदभावपूर्ण रहता है और एक जैसे काम के लिए उन्हें पुरूषों से कम पगार दी जाती है। घरेलू काम में लगी महिला श्रमिकों की सबसे बड़ी चुनौती स्वयं को यौन शोषण से बचाना है। असंगठित क्षेत्र में महिला कामगारों की संख्या पुरूषों की तुलना में ज्यादा है फिर भी लिंग के आधार पर भेदभाव होता है।